न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः—489/2017 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2017/00521)

मोहनसिंह पुत्र श्री मांगीलाल दरोगा निवासी भनकपुरा थाना व तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 4.2.2015 व सिलेसिले निरस्त किये जाने शस्त्र अनुज्ञापत्र

उपस्थितिः—

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांकः 10.7.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 4.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सम्पादन कराने की दृष्टि से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने आदेश क्रमांक न्याय/9356—9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 3.1.2015 से पूर्व संबधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये गये थे। जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार कराया गया था एवं

उक्त के संबध में पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.1.2015 के द्वारा जमा नहीं कराऐ गये शस्त्रों को जमा कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सूचना देने के उपरान्त भी शस्त्र अनुज्ञाधारी/अपीलान्ट द्वारा अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को थाने में जमा नहीं कराने का उल्लेख किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट कमांक 1141 दिनांक 31.1.2015 के आधार पर तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची कम संख्या 1 लगायत 23 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिये गये है । अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची के कम संख्या 3 पर अपीलान्ट का नाम अंकित है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अपीलाधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्ट द्वारा पालना की जाती रही है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र पंचायत आम चुनाव 2015 के मध्यनजर नियत अवधि में शस्त्र को थाने में न जमा कराने के कारण एक सामुहिक आदेश से निलम्बित किया गया है जबकि तहत अदालत के आदेश दिनांक 29.12.2014 आदेश कमांक न्याय/9356–9395 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी । आदेश दिनांक 4.2.2015 की जानकारी अपीलान्ट को अखबार के माध्यम से न होकर सर्वप्रथम निलम्बन आदेश के बाद दिनांक 23.2.2015 को भेजे गये पत्र से हुई । जानकारी होते ही उसी दिन अपीलान्ट ने तहत अदालत के आदेशों की पालना में अपने शस्त्र को संबधित थाना टोडाभीम में जमा करा दिया गया था जिसकी छाया प्रति जमा रसीद दिनांक 23.2.2015 पत्रावली में उपलब्ध है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला पुलिस अधीक्षक करौली जो जिले की शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु एक सक्षम अधिकारी है ने भी पत्र दिनांक 16.5.2016 से संबधित थानाधिकारी/वृत्ताधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की गई है। बाबजूद इसके तहत अदालत ने विधि विरूद्ध मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है क्यों कि अपीलान्ट का शस्त्र आज भी थाने में जमा है। यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से शस्त्र जमा कराने में कसदन कोई गलती नहीं की है अखबार में जारी सूचना से किसी का भी महरूम रह जाना स्वभाविक है यह एक मानवीय सजगता की कमी ही कहीं जा सकती है न कि जानबूझ कर किया गया कृत्य। यदि तहत अदालत द्वारा सभी वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करती तो सभी न्यायिक तथ्य उनके समक्ष प्रकट हो जाते किन्तु तहत अदालत ने न तो अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया न ही शस्त्र थाने में जमा किये जाने के तथ्य की वास्तविकता को जानना उचित समझा और न ही जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 16.5. 2016 जो अपीलान्ट के हक में थी पर गौर किया। एक ही आदेश से सूची बना कर अनुज्ञाधारियों के लाईसेंस निरस्त कर दिये गये जिसमें क्रम संख्या 3 पर अपीलान्ट का नाम भी अंकित करते हुये अपीलान्ट का नियमानुसार जारी अनुज्ञापत्र वेवजह निलम्बित कर दिया गया है। वास्तव में यह आर्डर स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न दिया जाकर तहत अदालत द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों को अनदेखा किया गया है। जबकि न तो अपीलान्ट ने शस्त्र का दुरूपयोग किया है न ही अपीलान्ट के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमें पंजीबद्ध है फिर भी अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिना सुनवाई अनिश्चितकाल के लिये शस्त्र को निलम्बित नहीं किया जा सकता उसके लिये एक निश्चित अवधि खोलना आवश्यक है ताकि इस अवधि में अनुज्ञापत्रधारी चाराजोही कर अपना पक्ष पेश कर सके, लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्ट को ऐसा कोई मौका नहीं देते हुये एकतरफा में अनिशचित काल के लिये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया गया है जो आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों के प्रतिकूल है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिऐ अपीलाधीन आदेश कानून के परिपेक्ष्य में न होकर मनमाने ढंग से बिना किसी आधार के पारित किया गया आदेश है जो काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। जिससे यह साफ है कि अपीलान्ट को न तो सुना गया न ही उसके वहैसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जा सके। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी ही नहीं थी । अपीलान्ट को इसकी जानकारी दिनांक 23.9.2017 को हुई दिनांक 13.10.2017 को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 16.10.2017 को नकल प्राप्त हुई। नकल मिलने पर अपीलाधीन आदेश की वास्तविक जानकारी हुई। तदोपरान्त वकील से सम्पर्क किया व दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय 4.2.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। वास्तविकता यह है कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सम्पादन कराने की दृष्टी से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने आदेश क्रमांक न्याय/9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 3.1.2015 से पूर्व संबधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये गये थे। जिसका स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया था एवं उक्त के संबध में पुनः

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.1.2015 के द्वारा जमा नहीं कराऐ गये शस्त्रों को जमा कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सूचना देने के उपरान्त भी शस्त्र अनुज्ञाधारी/अपीलान्ट द्वारा अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को थाने में जमा नहीं कराने का उल्लेख किया गया। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 1141 दिनांक 31.1.2015 के आधार पर तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची क्रम संख्या 1 लगायत 23 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिये गये है । अपीलाधीन आदेश में अंकित सूची के क्रम संख्या 3 पर अपीलान्ट का नाम अंकित है । अपीलान्ट द्वारा शस्त्र जमा न कराया जाकर अनुज्ञापन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की है जो आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों की भी अवहेलना है इसलिऐ तहत अदालत द्वारा चूंकि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एक प्रशासनिक अधिकारी भी है और पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टी स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव सम्पादन कराने की दृष्टी से जिन अनुज्ञापत्रधारियों ने निर्धारित अवधि में शस्त्र जमा नहीं कराये उनके ही अनुज्ञापत्र अपीलाधीन आदेश से निलम्बित किये गये है जो न्यायसंगत है। अन्त में सहायक लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2015 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था के मध्यनजर शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को जरिये समाचार पत्र अपने शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिये थे। अपीलान्ट द्वारा नियत समय में शस्त्र जमा नही कराने की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञा पत्र निलम्बित कर दिया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उन्होने अपने शस्त्र का दुरूपयोग नही किया, न ही उनके विरूद्ध कोई मुकदमा ही विचाराधीन है और तहत अदालत के हर आदेश की पालना करते हुये इस आदेश की भी पालना की गई है । तहत अदालत के आदेश की पालना में ही दिनांक 23.2.2015 को पुलिस थाना टोडाभीम में अपीलान्ट के द्वारा लाईसेंसी हथियार को जमा करा दिया गया था जो आज भी संबधित थाने में ही जमा है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने भी पत्र दिनांक16.5.2016 में अपीलान्ट के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुये अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की गई है। शस्त्र जमा रसीद दिनांक 23.2.2015 एवं जिला पुलिस अधीक्षक करौली का पत्र दिनांक 16.5.2016 तहत पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना नहीं पाया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। हमारी विनम्र राय में अखबार में जारी सूचना से किसी भी व्यक्ति का महरूम रह जाना स्वभाविक है यह एक मानवीय सजगता की कमी ही कहीं जा सकती है न कि जानबूझ कर किया गया कृत्य। यदि तहत अदालत द्वारा सभी वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करती तो सभी न्यायिक तथ्य उनके समक्ष प्रकट हो जाते किन्तु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि तत्कालीन परिस्थितियों एवं पंचायत आम चुनाव 2015 के मध्यनजर समय की कमी को देखते हुये ये संभव नहीं था । जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा तत्कालीन कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो गई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अतः यह प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहत अदालत को रिमाण्ड किया जाना ही न्यायोचित रहता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण केवल क्रम संख्या–3 की हद तक **(अनुज्ञापत्र संख्या 103/ LADAKHZ/2000/ BL)** अनुज्ञापत्रधारी मोहनसिंह पुत्र मांगीलाल दरोगा निवासी भनकपुरा के संबध में पुनः प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम की धारा 17(3) के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official